

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 820] No. 820] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 6, 2017/आश्विन 14, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 6, 2017/ASVINA 14, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तबर, 2017

सा.का.िन. 1223(अ).—केंद्र सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (धक) के उप-खंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 4/2017, दिनांक 23 अगस्त, 2017 को सं. सा.का.िन. 1058 (अ), दिनांक 23 अगस्त, 2017 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है, सिवाय उन बातों के जिन्हें ऐसे निरस्तीकरण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है।

[फा. सं. पी.12011/4/2015-ई.एस.सैल-डीओआर]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2017

G.S.R. 1223(E).—In exercise of powers conferred by sub-clause (iv) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby rescinds the notification No. 4/2017, dated the 23rd August, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1058(E), dated the 23rd August, 2017, with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. P.12011/4/2015-ES Cell-DoR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

6096 GI/2017